191/ आ०
20.7.2023

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रभारी, प्रधानाध्यापकों के लिए वित्तीय खातों का रख–रखाव संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश (Guidelines)।

जब भी आप विद्यालय का प्रभार लें तो सबसे पहले आपका दायित्व यह होना चाहिए कि आप देख लें कि उक्त विद्यालय में कितने प्रकार के बैंक खाते खुले हुए हैं। इनमें कितनी राशि रखी हुई है और उस राशि से आप क्या काम कर सकते हैं।

1) यदि आप प्राथमिक/मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो सामान्यतः आपके विद्यालय में निम्न प्रकार के 03 खाते होंगे:–

(i) समग्र शिक्षा का बैंक खाता।

(ii) मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता।

(iii) बिहार सरकार का बैंक खाता।

नोटः–यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना BEO को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए।

2) यदि आप माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो आपके विद्यालय में निम्न प्रकार से 04 खाते हो सकते हैं:–

(i) समग्र शिक्षा का बैंक खाता।

(ii) बिहार सरकार का बैंक खाता।

(iii) विकास कोष हेतु बैंक खाता।

(iv) छात्र कोष हेतु बैंक खाता।

नोटः–यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना BEO को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए।

3) किस खाते का संचालन किस प्रकार करना है और उस खाते की राशि से किस प्रकार का कार्य कराया जाना है, का विवरण इस तालिका में दिया हुआ है।

क्र0	खाता का नाम	खाते में उपलब्ध राशि से क्या–क्या कार्य कराया जा सकता है।	खाते का संचालन किस प्रकार करना है।
1	2	3	4
1	**समग्र शिक्षा का बैंक खाता**	यह खाता दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में यथाः–प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालय में होता है। इस खाते में 3 मुख्य मद होते हैं:– **(क) समग्र विद्यालय अनुदान** :– इसे Composite Grant के नाम से भी जाना जाता है। इस मद में अधिकतम राशि 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये की आती है। चूँकि राशि कम है, अतः इसे बहुत सावधानी से खर्च करना होता है। इस मद से आप कोई बडा निर्माण कार्य अथवा विद्यालय भवन की रंगाई–पुताई आदि नहीं करा पायेंगे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस मद से केवल आप स्कूल के पठन–पाठन की सामग्री यथा–चॉक,	इस खाते को Single Nodal Account (समग्र शिक्षा) कहा जाता है [SNA-समग्र शिक्षा]। इसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होगी और जिस भी व्यक्ति को आपको भुगतान करना है, उसके लिए तय राशि का

		बल्ब, पंखा, डस्टर इत्यादि का भुगतान करें। साथ ही, शौचालय की सफाई प्रतिदिन कराने हेतु स्वीपर का भुगतान भी इस राशि से किया जाए। **(ख) इस खाते का दूसरा अंश निर्माण कार्य है:–** इसमें आप भवन के निर्माण, भवन की मरम्मति, शौचालय निर्माण, शौचालय की मरम्मति, पेयजल, नल–जल की व्यवस्था अथवा नये चापाकल लगवाने अथवा इसके मरम्मति इत्यादि का काम करा सकते हैं। **(ग) विविध कार्य:–** उपरोक्त दोनों गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की गतिविधियां विद्यालय में होती हैं, जिसमें खेल–कूद, वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएँ एवं ऐसी रोचक गतिविधियाँ आप कर सकते हैं, जिससे छात्रों की रूचि तो बनी ही रहे, साथ ही उन्हें कुछ अच्छी बात सीखने को मिले। इन गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।	Print Payment Advice (PPA) आपको बनाना होगा। अतः स्वाभाविक है कि इसके लिए आपके विद्यालय में कंप्यूटर/प्रिंटर होना आवश्यक है। यदि आप इस वित्तीय प्रणाली को स्वयं नहीं चला सकते हैं तो आपको एक कंप्यूटर जानकार को भी रखना पड़ सकता है। विभाग प्रयास में है कि प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर कंप्यूटर/प्रिंटर और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान किया जाए। जब तक ये सुविधाएँ नहीं उपलब्ध होती हैं, तब तक आप नजदीक के इंटरनेट कैफे में जाकर PPA बनवा सकते हैं या Block Resource Center (BRC) में जाकर ये PPA बनवा सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय हेतु इंटरनेट कैफे में जाने पर इस पर होने वाले व्यय का भुगतान आप इसी खाते के Composite Grant अंश से कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय इस खर्च का वहन विकास कोष/छात्र कोष से कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय के लिए इस खाते में 'मेकर' प्रधानाध्यापक होते हैं एवं 'चेकर/एप्रूवर' समिति के

			सचिव होते हैं। माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए इस खाते के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा नामित शिक्षक 'मेकर' होते हैं एवं 'चेकर / एप्रूवर' प्रधानाध्यापक स्वयं होते हैं। **संयुक्त हस्ताक्षर प्रणाली** प्रारंभिक विद्यालय के मामले में PPA पर हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव करेंगे। माध्यमिक विद्यालय में PPA पर संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के कोई एक शिक्षक, जिसे प्रधानाध्यापक प्राधिकृत करें।
2	**मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता**	यह खाता कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालय में ही होता है। इस खाता में उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जानी है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आपको वर्ग 1 से 5 के लिए अधिकतम रुपये 5.45 (पाँच रुपये पैंतालीस पैसे), तथा वर्ग 6 से 8 के लिए अधिकतम रुपये 8.17 (आठ रुपये सतरह पैसे) प्रतिदिन प्रति छात्र की दर से खर्च करना है। उदाहरण स्वरूप यदि प्रारंभिक विद्यालय में किसी तिथि को 67 छात्र उपस्थित हुए हैं तो उस तिथि को भोजन हेतु खर्च की इस प्रकार गणना करें:– **छात्र की संख्या x प्रति बच्चा दर = व्यय होने वाली राशि** **67 X रुपये 5.45 = रुपये 365.15** अर्थात, उस दिन मध्याह्न भोजन का कुल खर्च रु0 365.15 हुआ। पूरे महीने की गणना इसी प्रकार करें और तद्नुसार vendor को भुगतान करें।	इस खाते का संचालन भी समग्र शिक्षा खाते के अनुसार ही होता है। इस खाते को Single Nodal Account (मध्याह्न भोजन योजना) कहा जाता है [SNA-मध्याह्न भोजन योजना]। वर्त्तमान में इस खाते हेतु 'मेकर' प्रधानाध्यापक एवं 'चेकर / एप्रूवर' मध्याह्न भोजन योजना के प्रखंड साधन सेवी (BRP) होते हैं किन्तु अब समरूपता लाने के उद्देश्य से 'मेकर'